

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, मसौढ़ी।

पटना, दिनांक-06/03/19

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में नगर परिषद्, मसौढ़ी क्षेत्रान्तर्गत पथ एवं पुलिया निर्माण से संबंधित कुल ₹470.61500 लाख (चार करोड़ सत्तर लाख एकसठ हजार पाँच सौ रु०) मात्र की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना के कार्यान्वयन हेतु तत्काल कुल ₹235.30750 लाख (दो करोड़ पैंतीस लाख तीस हजार सात सौ पचास रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि का आवंटन।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में नगर परिषद्, मसौढ़ी क्षेत्रान्तर्गत पथ एवं पुलिया निर्माण से संबंधित स्तम्भ- 03 में अंकित योजना के लिए स्तम्भ- 04 के अनुरूप कुल ₹470.61500 लाख (चार करोड़ सत्तर लाख एकसठ हजार पाँच सौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ- 05 के अनुरूप तत्काल विभागीय राज्यादेश सं०-137 दिनांक-06/03/19 के आलोक में कुल ₹235.30750 लाख (दो करोड़ पैंतीस लाख तीस हजार सात सौ पचास रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् आवंटित की जाती है:-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजना का नाम	तकनीकी अनुमोदन/ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल आवंटित राशि	अवशेष राशि (4-5)
1	2	3	4	5	6
1	नगर परिषद्, मसौढ़ी	वार्ड नं०- 4 मुहल्ला तारेगना, मठ में शहीद संजय कुमार सिन्हा जी के मकान से उदय जी के मकान होते हुए मनोज मुंशी के घर से तारेगना पुरवारी चक रेलवे पुल श्री नगर मैरेज हॉल के पश्चिम से विद्यार्थी डेयरी होते हुए बस स्टैंड के पास एन०एच० 83 तक पी०सी०सी० पथ एवं नाला का निर्माण कार्य।	470.61500	235.30750	235.30750

अर्थात् कुल आवंटित राशि कुल ₹235.30750 लाख (दो करोड़ पैंतीस लाख तीस हजार सात सौ पचास रु०) मात्र।

2. उक्त आवंटित कुल ₹235.30750 लाख (दो करोड़ पैंतीस लाख तीस हजार सात सौ पचास रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मसौढ़ी होंगे जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक-17.04.98, पत्रांक- 354, दिनांक- 28.03.2018 एवं पत्रांक- 662, दिनांक- 02.08.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। राशि की निकासी

किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जाएगा।

3. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक- 63, दिनांक- 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BCT- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

4. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

5. आवंटित कुल ₹235.30750 लाख (दो करोड़ पैंतीस लाख तीस हजार सात सौ पचास रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 192-नगर पालिकाओं नगर परिषद् को सहायता, उप शीर्ष- 0105-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217031920105, विषय शीर्ष- 0105.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

6. उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि आवंटित की जाती है:-

(i) **योजना का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकाय द्वारा किया जाएगा।**

(ii) जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देशन समय-समय पर किया जाएगा।

(iii) योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर विभाग का नाम, योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण-लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(iv) **योजनाओं का कार्यान्वयन ई० टेन्डरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।**

(v) योजनाओं का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गयी है।


(vi) योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

7. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

8. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।


9. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,




सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०नि०-02-02/2018 95 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-06।.3।19
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07 नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव।



* ई-मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- 06/03/19

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में नगर परिषद्, मसौढ़ी क्षेत्रान्तर्गत पथ एवं पुलिया निर्माण से संबंधित कुल ₹470.61500 लाख (चार करोड़ सत्तर लाख एकसठ हजार पाँच सौ रु०) मात्र की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना के कार्यान्वयन हेतु तत्काल कुल ₹235.30750 लाख (दो करोड़ पैंतीस लाख तीस हजार सात सौ पचास रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में नगर परिषद्, मसौढ़ी क्षेत्रान्तर्गत पथ एवं पुलिया निर्माण से संबंधित स्तम्भ- 03 में अंकित योजना के लिए स्तम्भ- 04 के अनुरूप कुल ₹470.61500 लाख (चार करोड़ सत्तर लाख एकसठ हजार पाँच सौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ- 05 के अनुरूप तत्काल कुल ₹235.30750 लाख (दो करोड़ पैंतीस लाख तीस हजार सात सौ पचास रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् स्वीकृत की जाती है:-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजना का नाम	तकनीकी अनुमोदन/ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि (4-5)
1	2	3	4	5	6
1	नगर परिषद्, मसौढ़ी	वार्ड नं०- 4 मुहल्ला तारेगना, मठ में शहीद संजय कुमार सिन्हा जी के मकान से उदय जी के मकान होते हुए मनोज मुंशी के घर से तारेगना पुरवारी चक रेलवे पुल श्री नगर मैरेज हॉल के पश्चिम से विद्यार्थी डेयरी होते हुए बस स्टैंड के पास एन०एच० 83 तक पी०सी०सी० पथ एवं नाला का निर्माण कार्य।	470.61500	235.30750	235.30750

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि कुल ₹235.30750 लाख (दो करोड़ पैंतीस लाख तीस हजार सात सौ पचास रु०) मात्र।

इसके लिए अलग से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

2. उक्त स्वीकृत कुल ₹235.30750 लाख (दो करोड़ पैंतीस लाख तीस हजार सात सौ पचास रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मसौढ़ी होंगे जिनके

द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक-17.04.98, पत्रांक- 354, दिनांक- 28.03.2018 एवं पत्रांक- 662, दिनांक- 02.08.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जाएगा।

3. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक- 63, दिनांक- 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BCT- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

4. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

5. स्वीकृत कुल ₹235.30750 लाख (दो करोड़ पैंतीस लाख तीस हजार सात सौ पचास रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 192-नगर पालिकाओं नगर परिषद् को सहायता, उप शीर्ष- 0105-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217031920105, विषय शीर्ष- 0105.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

6. उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:-

(i) **योजना का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकाय द्वारा किया जाएगा।**

(ii) जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देशन समय-समय पर किया जाएगा।

(iii) योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर विभाग का नाम, योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण-लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(iv) **योजनाओं का कार्यान्वयन ई० टेन्डरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।**

(v) योजनाओं का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गयी है।

(vi) योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

7. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

8. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-2ब०/ना०नि०-02-02/2018 के पृष्ठ सं०-.....५१...../टि० पर दिनांक-०५/०३/२०१९..... को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-.....५०...../टि० पर दिनांक-०५/०३/२०१९..... को प्राप्त है ।
9. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा ।
10. इसकी सूचना आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मसौढ़ी/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

06-03-19

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक-2ब०/ना०नि०-02-02/2018 137 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-०६/०३/१९
प्रतिलिपि:- आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मसौढ़ी/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07 नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

06-03-19

सरकार के विशेष सचिव ।